

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/19-20 3826

दिनांक :- 23/4/19

निमित्त:-

अधिकांश अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

विषय :- Construction of B.T Road from Mamli Laxmipura to Patpadi
1.14ha FP /RJ /Road /7127 /2014) of Forest land for upgradation
Road .in Baran forest Division.

संदर्भ :- संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा का पत्र क्रमांक :एफ13वन संरक्षण
स.मु.व.सं/2019/2166दिनांक 4.04.2019 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में वन संरक्षण का अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत उल्लंघन हुआ है। उक्त उल्लंघन के संबंध में आपके पत्र क्रमांक 1015दिनांक 18.01.2019 से सहमति भी दी गई है। इस कार्यालय को अवगत करावे की आपके द्वारा उक्त उल्लंघन वन संरक्षण का अधिनियम 1980 की धारा 3A के तहत किया गया अथवा 3B के तहत किया गया है।

वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सड़क निर्माण किस अवधि में हुआ तथा उस अवधि में पद स्थापित निम्न अधिकारियों के नाम व पते उपलब्ध करावे ।

क्रम सं	पद नाम	पद स्थापित अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	पूर्ण पता
1.	विभागाध्यक्ष			
2.	अधीक्षण अभियन्ता			
3.	अधिकांश अभियन्ता			
4.	सहायक अभियन्ता			
5.	कनिष्ठ अभियन्ता			

यदि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु आपके अथवा आपके विभाग द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यावाही की गई है तो उसका विवरण भी उपलब्ध करावे ।

उल्लेखनीय है कि समय पर जवाब प्रेषित नहीं किये जाने से भारत सरकार द्वारा उक्त प्रकरण पत्रांक 925 दिनांक 19.3.2018 से निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रकरण को रीओपन कराने हेतु आवेदन पत्र भी इस कार्यालय को प्रेषित करे ।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक :-

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/19-20/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. अधिकांश अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बारां

(महेश चन्द गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां